

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक:-एफ 11(8)ग्रावि/नरेगा/पद सृजन/2016/93342
जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
जिला समस्त राजस्थान

जयपुर, दिनांक :

25 MAY 2017

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के रिक्त पदों को भरने के क्रम में महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक प-1(4) वित्त/नियम/2011 दिनांक 29.04.2011 एवं 17.06.2011 द्वारा संविदा पर नियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया था।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन एवं प्रबन्धन साथ ही कार्यों की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के 360 पदों तथा लेखा सहायकों के 367 पदों को संविदा पर दिनांक 28.02.18 तक नियमानुसार भरने की वित्त विभाग द्वारा निम्न शर्तों के अनुसार प्रदान की गई है :-

1. वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 27.06.2014 एवं केन्द्र सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन की अनुपालना सुनिश्चित की जायेगी।
2. उक्त पदों पर होने वाला व्यय विभाग द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सरकार द्वारा अनुमत 6 प्रतिशत की सीमा में रखा जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के रिक्त पदों को भरने के संबंध में निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जानी है :-

1. उक्त पदों का चयन केवल संविदा आधार पर जिला स्तर से विज्ञापन जारी कर आवेदन आमन्त्रित किये जाने है। उक्त संविदा पदों पर नियोजन हेतु कार्मिक विभाग के आदेश दिनांक 12.10.2015 (प्रति संलग्न) के अनुसार आरक्षण देय होगा।
2. जिला स्तर पर चयन हेतु एक समिति का गठन किया जाना है जिसमें अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, जिला कलक्टर के प्रतिनिधि सदस्य होंगे तथा अधिशाषी अभियन्ता (महात्मा गांधी नरेगा) एवं जिला परिषद के लेखाधिकारी/सहायक लेखाधिकारी सदस्य होंगे। जल ग्रहण विभाग के परियोजना प्रबन्धक अथवा अधीक्षण अभियन्ता तकनीकी सदस्य होंगे।
3. कनिष्ठ तकनीकी सहायक का मानदेय विभाग के आदेश दिनांक 28.12.2010 के अनुसार 13000 रुपये प्रतिमाह होगा जिसमें, रुपये 3000 ग्रामीण भत्ता एवं रुपये 2000 यात्रा भत्ता शामिल है।
4. लेखा सहायक का मानदेय रुपये 8000/- प्रतिमाह देय है।

Mw

5. इन कनिष्ठ तकनीकी सहायकों एवं लेखा सहायकों की अनुबन्ध अवधि 28.02.2018 के पश्चात् बढ़ाये जाने की स्थिति में इनकी एक वर्ष की सेवा संतोषजनक रहने पर उनके मूल मानदेय रूपये 8000 प्रतिमाह पर 5 प्रतिशत वार्षिक मानदेय वृद्धि देय होगी।
6. चयनित किये गये कनिष्ठ तकनीकी सहायकों/लेखा सहायकों से अनुबन्ध किये जाने से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज यथा अंक तालिका, डिग्री, प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन किया जावे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उत्तर पूर्व राज्यों एवं अन्य राज्यों के फर्जी संस्थानों से तो नहीं प्राप्त किये हैं।
7. भारत सरकार के दिशा निर्देश दिनांक 21.08.2014 में दी गयी संलग्न शर्त संख्या-3(b&c) अनुसार तकनीकी सहायकों को कुशल कामगारों के रूप में सामग्री मद की अलग से 1 प्रतिशत निर्धारित राशि से मानदेय का भुगतान किया जावेगा। इस हेतु कार्यों के तकमीने में पृथक से प्रावधान किया जाना आवश्यक है।
8. कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों को केवल सिविल अभियान्त्रिकी में डिग्री या डिप्लोमाधरी तथा कृषि इंजीनियरिंग में बीई या बीटेक डिग्रीधारी अभ्यर्थियों से ही पूर्ण पारदर्शिता से भरा जावे।
9. लेखा सहायक के लिए भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय अथवा उसके अधीन महाविद्यालय से बी.कॉम/सी.ए. इन्टरमिडियेट (आई.पी.सी.)/आई.सी.डब्ल्यू.ए. (इन्टर)/कंपनी सैकेट्री (इन्टर) योग्यता रहेगी।
10. दोनों पदों के आवेदकों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष एवं अधिकतम आयु 35 वर्ष होनी चाहिये। निम्नलिखित श्रेणी के अभ्यर्थियों को निम्नानुसार आयु सीमा में छूट देय है :-
 - (i) राजस्थान राज्य के अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के पुरुष अभ्यर्थी या सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट।
 - (ii) राजस्थान राज्य की अ.जा./अ.ज.जा. तथा अन्य पिछड़ा वर्ग (नॉन क्रीमिलेयर) के महिला अभ्यर्थी के लिए ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट।
 - (iii) भूतपूर्व सैनिकों के लिए ऊपरी आयु सीमा 50 वर्ष होगी।
 - (iv) विधवाओं एवं तलाकशुदा महिला के मामलों में कोई आयु (अधिवार्षिकी तक) सीमा नहीं होगी।
11. इन पदों के आवेदनों की छंटनी/चयन के संबंध में जो भी आधार रखे जावे उनको प्रकाशित की जाने वाली विज्ञप्ति में शामिल किया जावे। जारी विज्ञप्ति को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर भी चस्पा किया जावे।
12. अंतिम रूप से नियोजित कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के साथ जिला स्तर से ही अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, महात्मा गांधी नरेगा अनुबन्ध करेंगे, उसमें कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक को पंचायत समिति विशेष हेतु अनुबन्धित करने के स्थान पर जिले की किसी भी पंचायत समिति में कार्य करने हेतु अनुबन्धित किया जावेगा, ताकि जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा आवश्यकता अनुसार जिले की किसी भी पंचायत समिति में इन्हें नियोजित किया जा सके।



13. इन पदों पर अभ्यार्थियों के चयन के संबंध में सूचना के अधिकार अधिनियम अन्तर्गत किसी भी व्यक्ति द्वारा सूचना प्राप्त की जा सकती है। अतः अभ्यार्थियों के Selection/Rejection का पर्याप्त आधार एवं चयन प्रक्रिया का पूर्ण रिकॉर्ड रखते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ चयन के संबंध में कार्यवाही की जानी है।
14. विभाग के आदेश दिनांक 07.09.2016 द्वारा 550 कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों को भरने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। उन पदों को सम्मिलित करते हुए किसी भी स्थिति में जिले को निर्धारित आवंटित पदों से अधिक पदों को नहीं भरा जावे। लेखा सहायक के पंचायत समिति/ग्राम पंचायत में आवंटित पदों में से रिक्त पदों को ही भरा जाना है। किसी भी स्थिति में आवंटित पदों से अधिक संख्या में पदों को नहीं भरा जावे। जिलेवार कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं लेखा सहायक के आवंटित पदों की स्थिति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

भवदीय



(मनीष चौहान)

शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. विशिष्ट सहायक, मा0 मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
2. विशिष्ट सहायक, मा0 राज्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
5. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त, ईजीएस।
6. परियोजना निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, ईजीएस।
7. अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस
8. वित्तीय सलाहकार, ईजीएस।
9. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस समस्त राजस्थान।
10. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद समस्त राजस्थान।



अतिरिक्त आयुक्त प्रथम, ईजीएस

राजस्थान सरकार
कार्मिक (क-2) विभाग

क्रमांक:-प. 2(5)कार्मिक/क-2/15

जयपुर, दिनांक:- 12/10/15

- 1- समस्त अति० मुख्य सचिव/प्र० शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
- 2- समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर सहित)।

विषय:-संविदा नियुक्तियों में आरक्षण लागू करने के सम्बन्ध में।

सेवा नियमों में संविदा नियुक्तियों का प्रावधान नहीं होने के कारण राज्य सरकार के अधीन समस्त सेवाओं में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों के विरुद्ध संविदा नियुक्तियों पर आरक्षण देय होने अथवा न होने के सम्बन्ध में विभागों द्वारा कार्मिक विभाग की राय हेतु प्रकरण भिजवाये जाते हैं। वित्त विभाग द्वारा बाह्य सहायता प्राप्त प्रोजेक्ट्स में प्रायः बड़ी संख्या में विभिन्न स्तर के पदों को संविदा नियुक्ति से भरने की सहमति प्रदान की जाती है।

इस सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा लिये गये नीति निर्णय के क्रम में, समस्त नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि संविदा नियुक्तियों में भी खुली प्रतिस्पर्धा एवं पारदर्शिता सुनिश्चित की जावे तथा ऐसी नियुक्तियों में भी लम्बवत तथा क्षैतिज सहित वे सभी आरक्षण प्रावधान लागू किये जाने चाहिये, जो नियमित पदों पर सीधी भर्ती के समय लागू होते हैं। चूंकि यह भर्ती नियत समय के लिये ही होती है तथा सभी पदों को यथाशीघ्र भरा जाना प्रोजेक्ट की सफलता के लिए बहुत जरूरी होता है। अतः इसमें किसी भी आरक्षित वर्ग के पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की दशा में रिक्तियों को अग्रेषित करने के स्थान पर उन्हें उपलब्ध अन्य (सामान्य) पात्र अभ्यर्थियों से भरा जा सकेगा।


(आलोक गुप्ता)
शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. [REDACTED] सचिव, मा० मुख्यमंत्री महोदय।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव/निजी सचिव, अति० मुख्य सचिव गण।
3. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
4. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड, जयपुर।
5. पंजीयक, राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर।
6. रक्षित पत्रावली।


संयुक्त शासन सचिव

Annexure-1

S.N.	District	Total No. of Post allotted to Districts	
		JTA's	Account Assitants
1	2	3	4
1	AJMER	44	35
2	ALWAR	78	61
3	BANSWARA	188	39
4	BARAN	43	28
5	BARMER	149	46
6	BHARATPUR	61	46
7	BHILWARA	76	49
8	BIKANER	62	28
9	BUNDI	32	23
10	CHITTORGARH	52	40
11	CHURU	44	31
12	DAUSA	37	27
13	DHOLPUR	26	19
14	DUNGARPUR	130	29
15	HANUMANGARH	41	32
16	JAIPUR	81	62
17	JAISALMER	36	16
18	JALORE	49	34
19	JHALAWAR	68	31
20	JHUNJHUNU	48	37
21	JODHPUR	56	44
22	KARALI	37	27
23	KOTA	36	21
24	NAGPUR	76	57
25	PALI	70	42
26	PRATAPGARH	40	20
27	RAJSAMAND	34	27
28	SAWAI MADHOPUR	38	25
29	SIKAR	54	41
30	SIROHI	28	20
31	SRI GANGANAGAR	53	40
32	TONK	41	29
33	UDAIPUR	154	60
	Total	2061	1166

